

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक

डी0एस0-4 जूनियर हाई स्कूल, सैन्दवार, ब्लाक-जलीलपुर  
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/ 870-71 /2008-09

दिनांक 21-05-2008

विषय:-

अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा-6 से 8 तक) की अस्थायी मान्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार एवं शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18-एस(7)/89 दिनांक 11.05.1992 एवं शासनादेश सं0 2681/15-6-95-18 एस(7)/89 दिनांक 18.01.1996 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पत्रांक: बे0शि0प0/सामान्य-5 /21716-22019/ 96-97 दिनांक 10.02.1997 में दिये गये निर्देशानुसार आपके विद्यालय को कक्षा-6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है :-


- 1-प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग होगा।
- 2-विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के0जी0, नर्सरी, प्राईमरी, कक्षा-9, 10 आदि का संचालन न किया जाये।
- 3-विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाये।
- 4-विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने अत्यावश्यक है।
- 5-छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाये।
- 6-विद्यालय में विभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाये।
- 7-विद्यालय में छात्रों को हिन्दी माध्यम से ही शिक्षा दी जाये।
- 8-विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकायें ही नियुक्त किये जाये।
- 9-विद्यालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
- 10-यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध नहीं होगा।

शासनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे :-

प्रधानाध्यापक-	एक पद
सहायक अध्यापक-	चार पद
लिपिक-	एक पद
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट/गणित/विज्ञान अध्यापक सम्मिलित माने जाये। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार परिषद कार्यालय का होगा।

भवदीय

  
(वरुण कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।


पृ0सं0बेसिक/


/2008-09

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 2-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 3-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
- 4-संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर।

  
Principal  
D.S. 4 JUNIOR HIGH SCHOOL  
Saindwar, Chandpur (Bijnor)

  
Mahager  
D.S. 4 JUNIOR HIGH SCHOOL  
Saindwar, Chandpur (Bijnor)

(वरुण कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।